


सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

धारा 4(ब) के 17 बिन्दुओं की जानकारी

पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुरैना

अध्याय – 02 (मैनुअल –1)

पुलिस विभाग जिला इकाई मुरैना का संगठनात्मक ढाँचा



अध्याय – 3 (मैनुअल-2)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

पुलिस अधीक्षक मुरैना

प्रशासकीय शक्तियाँ :-

पुलिस अधिनियम 1861, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के अर्न्तगत विभिन्न धाराओं में प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य अधिनियमों, नियमावलियों, परिपत्रों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अर्न्तगत दी गई शक्तियाँ ।

आरक्षक के पद पर नियुक्ति के अधिकार, आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति के अधिकार, आरक्षक से निरीक्षक तक अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण अधिकार, आरक्षक से निरीक्षक तक जिले के अन्दर पदस्थापना के अधिकार ।

शासन के नियमानुसार अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने के अधिकार ।

वित्तीय शक्तियाँ :-

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के देयकों का म0प्र0 शासन द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत भुगतान स्वीकृत के अधिकार ।

प्रशासकीय एवं अशासकीय मदों से म0प्र0 शासन द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत व्यय की स्वीकृति के अधिकार ।

कर्तव्य :-

1. पुलिस अधिनियम में उल्लेखित समस्त कार्य एवं अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के कल्याणकारी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन करने एवं जिले में कानून व्यवस्था व विभिन्न वैधानिक प्रक्रियाओं को सुचारु रूप से निष्पादन करना ।

2. जिले में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण एवं पुलिस बल की कार्यक्षमता एवं अनुशासन बनाये रखने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को समय समय पर मार्गदर्शन देना, जनता द्वारा प्रस्तुत शिकायतों एवं उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण कराये जाने हेतु अधीनस्थों को यथोचित निर्देश देना तथा उसका समय – समय पर परीक्षण करना ।

3. न्यायालयों, या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों का पालन शीघ्रता से कराना सुनिश्चित करना ।

अति० पुलिस अधीक्षक मुरैना

शक्तियाँ :-

1. पुलिस अधीनियम 1861, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के अर्न्तगत विभिन्न धाराओ मे प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य अधिनियमो, नियमावलियों, परिपत्रों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अर्न्तगत दी गई शक्तियाँ ।

कर्तव्य :-

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत सहायक के रूप में कार्य करना ।

अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)

पुलिस अधीनियम 1861, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के अर्न्तगत विभिन्न धाराओ मे प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य अधिनियमो, नियमावलियों, परिपत्रों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अर्न्तगत दी गई शक्तियाँ ।

अनु० अधिकारी पुलिस अपने अनुविभाग का प्रमुख होता है । जिनके द्वारा अपने अधीनस्थ थानों का प्रबंध, दक्षता एवं अनुशासन और उसके कर्तव्यों के उचित पालन के लिए जिम्मेदार हैं । न्यायालयो, या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशो का पालन शीघ्रता से कराना सुनिश्चित करना ।

अनुविभाग के थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम एवं दहेज हत्या से संबंधित पंजीबद्ध प्रकरणों की विवेचना के अधिकार ।

निरीक्षक

पुलिस अधीनियम 1861, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के अर्न्तगत विभिन्न धाराओ मे प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य अधिनियमो, नियमावलियों, परिपत्रों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अर्न्तगत दी गई शक्तियाँ ।

निरीक्षक थाना प्रभारी अपने थाने का प्रमुख होता है । जिनके द्वारा अपने थाने का प्रबंध, दक्षता एवं अनुशासन और उसके कर्तव्यों के उचित पालन के लिए जिम्मेदार हैं । न्यायालयो, या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशो का पालन शीघ्रता से कराना सुनिश्चित करना ।

उप निरीक्षक

पुलिस अधीनियम 1861, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के अर्न्तगत विभिन्न धाराओ मे प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य अधिनियमो, नियमावलियों, परिपत्रों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अर्न्तगत दी गई शक्तियाँ ।

उप निरीक्षक थाना प्रभारी अपने थाने का प्रमुख होता है । जिनके द्वारा अपने थाने का प्रबंध, दक्षता एवं अनुशासन और उसके कर्तव्यों के उचित पालन के लिए जिम्मेदार हैं । न्यायालयों, या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों का पालन शीघ्रता से कराना सुनिश्चित करना । उप निरीक्षक निरीक्षक के सहायक के रूप में भी कार्य करते हैं ।

सहायक उप निरीक्षक

पुलिस अधिनियम 1861, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के अर्न्तगत विभिन्न धाराओं में प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य अधिनियमों, नियमावलियों, परिपत्रों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अर्न्तगत दी गई शक्तियाँ ।

सहायक उप निरीक्षक थाना प्रभारी के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। जिनके द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेश/निर्देशों का पालन करना, अनुशासन और उसके कर्तव्यों के उचित पालन के लिए जिम्मेदार हैं । न्यायालयों, या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों का पालन शीघ्रता से कराना सुनिश्चित करना ।

प्रधान आरक्षक

पुलिस अधिनियम 1861, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के अर्न्तगत विभिन्न धाराओं में प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य अधिनियमों, नियमावलियों, परिपत्रों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अर्न्तगत दी गई शक्तियाँ ।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेश/निर्देशों का पालन करते हुए अनुशासन बनाये रखना और उसके कर्तव्यों के उचित पालन के लिए जिम्मेदार हैं । न्यायालयों, या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों का पालन शीघ्रता से कराना सुनिश्चित करना ।

आरक्षक

पुलिस अधिनियम 1861, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के अर्न्तगत विभिन्न धाराओं में प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य अधिनियमों, नियमावलियों, परिपत्रों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अर्न्तगत दी गई शक्तियाँ ।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेश/निर्देशों का पालन करते हुए अनुशासन बनाये रखना और उसके कर्तव्यों के उचित पालन के लिए जिम्मेदार हैं । न्यायालयों, या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों का पालन शीघ्रता से कराना सुनिश्चित करना ।

कार्यालयीन

मुख्य लिपिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय का प्रमुख होता है जो पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार समस्त कार्यालयीन कार्य अपने अधीनस्थ लिपिकों के सहयोग से संपादित करने/कराने में के लिये जिम्मेदार होता है ।

रक्षित निरीक्षक

शक्तियां :-

पुलिस अधिनियम 1861, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के अर्न्तगत विभिन्न धाराओं में प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य अधिनियमों, नियमावलियों, परिपत्रों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अर्न्तगत दी गई शक्तियाँ ।

कर्तव्य :-

1. जिले में आरक्षी केन्द्र पुलिस बल का मुख्यालय है जिसका प्रभारी रक्षित निरीक्षक होता है । रक्षित निरीक्षक के अधीनस्थ आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक का रिजर्व बल उपलब्ध रहता है । जिससे विचाराधीन कैदियों की न्यायालयीन पेशी, समय-समय पर कानून व्यवस्था हेतु आवश्यकता होने पर जिले में अन्य स्थानों पर भेजने की व्यवस्था करना ।
2. जिला मुख्यालय पर उपलब्ध आवासग्रहों का संधारण एवं कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन एवं जिले के समस्त वाहनों का रखरखाव करवाना ।
3. पी0सी0एण्ड आर0 एवं एम0ओ0डबलू0 मद से होने वाले निर्माण कार्य अपनी देखरेख में करवाना ।
4. पुलिस अधीक्षक द्वारा समय – समय पर दिये गये कार्यों को सम्पादित कराना ।

अध्याय – 04 (मैनुअल-03)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

अभिलेख का नाम :- पुलिस अधिनियम 1861 अभिलेख का प्रकार – नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :- पुलिस अधिनियम 1861, भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक दण्ड संहिता, साक्ष्य अधिनियम, एवं अन्य लघु अधिनियम, अन्य विविध अधिनियम तथा शासन/न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश एवं मार्गदर्शन ।

अभिलेख को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं :-

पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुरैना

फोन नम्बर 07532-232200

फैक्स नम्बर 07532-227748

ई-मेल sp_morena@mppolice.gov.in

अध्याय – 05 (मैनुअल-04)

निति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गई व्यवस्था का विवरण

समय –समय पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शान्ति समिति की बैठके आयोजित की जाती हैं जिसमें जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न समुदाय के गणमान्य नागरिकों से परामर्श लेकर भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

इसके अतिरिक्त परिवार परामर्श केन्द्र के माध्यम से गणमान्य नागरिकों के सहयोग से पति-पत्नी के पारिवारिक विवाद को आपसी परामर्श के द्वारा हल करने का प्रयास किया जाता है।

समाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण केन्द्र के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं के शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु प्रयास किये जाते हैं।

वर्तमान परिवेश में पुलिस विभाग में बल की कमी, अपराधों में वृद्धि की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जन सहयोग से नगर रक्षा/ग्राम रक्षा समितियाँ गठित की गई हैं।

अध्याय – 06 (मैनुअल-05)

लोक प्राधिकारी के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

कार्यालय द्वारा निम्नानुसार विभिन्न दस्तावेज जो चालान के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर सूचना के अधिकार नियम के अर्न्तगत जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं ।

1. अन्तिम निष्कर्ष
2. शिकायत जांच के परिणाम ।
3. शव परीक्षण रिपोर्ट ।
4. पुलिस अहस्ताक्षेप योग्य अपराध रिपोर्ट की नकल
5. प्रथम सूचना पत्र की प्रति
6. मार्ग इन्टीमेशन
7. एमएलसी रिपोर्ट

इन सबके अलावा अन्य प्रकार के दस्तावेज/अभिलेख/सूचनाएँ आदि हार्ड कापी कार्यालय में उपलब्ध हैं ।

अध्याय – 07 (मैनुअल-06)

बोर्ड, परिषदो, समितियों एवं अन्य निकायो का विवरण

1. परिवार परामर्श केन्द्र – मुरैना
2. प्रकार – समिति
3. स्थापना वर्ष – 2003

उद्देश्य :-

पारिवारिक विवाद को परामर्श के द्वारा हल करना ।

4. संबंध संस्था की भूमिका – परामर्शदात्री
5. स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य— वर्तमान में परिवार परामर्श केन्द्र जिला मुख्यालय के अतिरिक्त समस्त अनुभागों में कार्यरत हैं एवं इनकी वर्तमान सदस्य संख्या 37 हैं ।
6. मुख्य अधिकारी का नाम – पुलिस अधीक्षक मुरैना
7. मुख्य कार्यालय – रविवार मुरैना
अन्य कार्यालय – अनुभाग अम्बाह, जौरा, सबलगढ़
8. बैठक की आवृत्ति – प्रत्येक रविवार
9. बैठक में जनता भाग ले सकती हैं

10. बैठक के कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं

सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र

1. सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र – थाना अजाक मुरैना
2. प्रकार – समिति
3. स्थापना वर्ष – **2002**

उद्देश्य :- समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं का उत्थान

4. संबंध संस्था की भूमिका – परामर्शदात्री
5. स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य— वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र जिला मुख्यालय के थाना अजाक में स्थित हैं । वर्तमान में सदस्यों की संख्या 07 है ।
6. मुख्य अधिकारी का नाम – पुलिस अधीक्षक मुरैना
7. मुख्य कार्यालय – थाना अजाक मुरैना
8. बैठक की आवृत्ति – प्रत्येक माह के प्रथम रविवार
9. बैठक में जनता भाग ले सकती हैं
10. बैठक के कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं

अध्याय – 08 (मैनुअल-07)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विशिष्टियाँ

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी

अपीलीय अधिकारी

| क्र० | अधिकारी का नाम एवं पद | पता | फोन नंबर / फैक्स |
|------|---|----------------------------------|---|
| 1 | श्री संतोश कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक मुरैना | पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुरैना | 07532-232200 (कार्या.) 07532-2322001 (नि०) फैक्स 07532-227748 (कार्या.) |

लोक सूचना अधिकारी

| क्र० | अधिकारी का नाम एवं पद | पता | फोन नंबर / फैक्स |
|------|--|----------------------------------|--|
| 1 | श्री आर०पी०सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुरैना | पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुरैना | 07532-222333 (कार्या.) 07532-232209 (नि०) फैक्स 07532-227748 (कार्या.) |

जिला मुख्यालय पर सहायक लोक सूचना अधिकारी

| क्र० | अधिकारी का नाम एवं पद | पता | फोन नंबर / फैक्स |
|------|--|-----------------------------------|--|
| 1 | श्री आर.एस. देवके उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) | उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) | 07532-222249 (कार्या.) 07532-230550 (नि०) फैक्स 07532-227748 (कार्या.) |

अनुभाग स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी

| क्र० | अधिकारी का नाम एवं पद | पता | फोन नंबर / फैक्स |
|------|--|-------------------------------|---|
| 1 | श्री बल्देव सिंह उ०पु०अधी० अजाक० मुरैना | थाना अजाक० मुरैना | 07532-226297 (कार्या.) फैक्स 07532-226297 (कार्या.) मोबाइल - 9425121314 |
| 2 | श्री जयवीर सिंह भदौरिया अनुविभागीय अधिकारी (पु०) मुरैना | कार्यालय अनु०अधि०(पु०) मुरैना | 07532-226326 (कार्या.) फैक्स 07532- 226326(कार्या.) 07532-250007 (निवास) मोबाइल - 9425122318 |
| 3 | श्री आर०के० सगर अनुविभागीय अधिकारी (पु०) अम्बाह | कार्यालय अनु०अधि०(पु०) अम्बाह | 07538-256100 (कार्या.) फैक्स 07538-256100 (कार्या.) 07538-256100 (निवास) |
| 4 | श्री सीताराम सत्या अनुविभागीय अधिकारी (पु०) जौरा | कार्यालय अनु०अधि०(पु०) जौरा | 07537-245036 (कार्या.) फैक्स 07537-245036 (कार्या.) |
| 5 | श्री अमृतलाल मीना अनुविभागीय अधिकारी (पु०) कैलारस | कार्यालय अनु०अधि०(पु०) कैलारस | 07536-287022(कार्या.) फैक्स 07536-287022 (कार्या.) |
| 6 | श्री एस.एस. चहल अनुविभागीय अधिकारी (पु०) सबलगढ़ | कार्यालय अनु०अधि०(पु०) सबलगढ़ | 07536-252709(कार्या.) फैक्स 07536-252709(कार्या.) |
| 7 | श्री राजेश मिश्रा अनुविभागीय अधिकारी (पु०) बामौर | कार्यालय अनु०अधि०(पु०) बामौर | 07532-255355(कार्या.) फैक्स 07532-255355(कार्या.) |

थाना स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी

| क्र० | अधिकारी का नाम एवं पद | पता | फोन नंबर |
|------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | श्री के०डी० सोनकिया निरी० | थाना कोतवाली | 07532-226323 |
| 2 | श्री डी०एस० परिहार निरी० | थाना सिविल लाइन | 07532-234360 |
| 3 | श्री गजेन्द्र सिंह प्रोवेषनर डीएसपी | थाना सरायछोला | 07532-237822 |
| 4 | श्री जितेन्द्र नगाइच उ०नि० | थाना दिमनी | 07538-285222 |
| 5 | श्री एस. एन. दुबे | थाना बामौर | 07532-255232 |
| 6 | श्री एस०पी०सिंह उपनिरी० | थाना नूराबाद | 07532-239222 |
| 7 | श्री श्याम चंद शर्मा उ०नि० | थाना सुमावली | 07532-238722 |
| 8 | श्री के०के० सिंह उ०नि० | थाना रिठौरा | - |
| 9 | श्री योगेन्द्र यादव उ०नि० | थाना माताबसैया | 07532-238322 |
| 10 | श्री के० बी० उपाध्याय निरी० | थाना जौरा | 07537-245100 |
| 11. | श्री आर०बी० शर्मा निरी० | थाना बागचीनी | 07537-237322 |
| 12 | श्री एम०एस० मौर्य उ०नि० | थाना देवगढ़ | 07532-242912 |
| 13 | श्री आर०एस० भदौरिया निरी० | थाना कैलारस | 07536-287100 |
| 14 | श्री पी०बी०शर्मा स०उ०नि० | थाना निरार | - |
| 15 | श्री किशन सिंह राठौर उ० निरी० | थाना पहाडगढ़ | 07536-286222 |
| 16 | श्री फूल सिंह गुर्जर उ०नि० | थाना चिन्नोनी | - |
| 17 | श्री के०के० दीक्षित निरी० | थाना सबलगढ़ | 07536-252100 |
| 18 | श्री सुनील श्रीवास्तव उ०नि० | थाना रामपुर | 07536-255222 |
| 19 | श्री आर०एस० जखेनियो उ०नि० | थाना टेंटरा | 07536-255222 |
| 20 | श्री सुखलाल सेंगर निरी० | थाना अम्बाह | 07538-256101 |
| 21 | श्री नवाव सिंह जादौन उप निरी० | थाना पोरसा | 07538-254022 |
| 22 | श्री प्रवीण चौहान उ०नि० | थाना महुआ | 07538-283222 |
| 23 | श्री बी०बी० करकरे उ०नि० | थाना नगरा | - |
| 24 | श्री रवि भदौरिया उ०नि० | थाना सिहोनियो | 07538-239022 |

अध्याय – 09 (मैनुअल-08)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

पुलिस रेग्यूलेशन में दिये गये प्रावधानों एवं प्रक्रिया तथा विधि द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप एवं शासन द्वारा समय – समय पर दिये गये निर्देशों, परिपत्रों के अनुसार तथा तात्कालिक, सामयिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इकाई प्रमुख द्वारा विभागीय निर्णय लिये जाते हैं ।

अध्याय – 10 (मैनुअल –09)

समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | एस.टी. डी.कोड | दूरभाष | | फैक्स | ई-मेल | पता |
|----------|-----------------------|------------------|---------------|----------|--------|--------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | कार्यालय | आवास | | | |
| 1 | श्री संतोश कुमार सिंह | पुलिस अधीक्षक | 07532 | 232200 | 232201 | 227748 | sp_morena@mppolice.gov.in | पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुरैना |
| 2 | श्री आर०पी० सिंह | अति०पुलिसअधीक्षक | 07532 | 222333 | 232209 | - | - | —“— |
| 3 | श्री जयवीर सिंह | एसडीओपी मुरैना | 07532 | 226326 | 250006 | - | - | एसडीओपी कार्यालय मुरैना । |
| 4 | श्री आर०के० सगर | एसडीओपी अम्बाह | 07538 | 256100 | - | - | - | एसडीओपी कार्या. मुरैना |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|-------------------------|-------|--------|--------|---|---|-------------------------------|
| 5 | श्री सीताराम सत्या | एसडीओपी जौरा | 07537 | 245036 | - | - | - | एसडीओपी कार्या. जौरा |
| 6 | श्री अमृतलाल मीना | एसडीओपी कैलारस | 07536 | 287022 | - | - | - | एसडीओपी कार्या. कैलारस |
| 7 | श्री एस0 एस0 चहल | एसडीओपी सबलगढ | 07536 | 252709 | - | - | - | एसडीओपी कार्या. सबलगढ. |
| 8 | श्री राजेश मिश्रा | एसडीओपी बामौर | 07532 | 255355 | - | - | - | एसडीओपी कार्या. बामौर |
| 9 | श्री आर0 एस0 देवके | उप पु0अ0 मुख्या. मुरैना | 07532 | 222249 | 230550 | - | - | पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुरैना |
| 10 | श्री के0डी0सोनकिया | नगर निरीक्षक मुरैना | 07532 | 223323 | - | - | - | कोतवाली मुरैना । |
| 11 | श्री डी.एस. बैस | सउनि | 07532 | 226345 | - | - | - | जिला विशेष शाखा कार्यालय |
| 12 | श्रीमती पुष्पा चंदेल | महिला आरक्षक | 07532 | - | 222681 | - | - | रक्षित केन्द्र मुरैना । |

अध्याय – 11 (मैनुअल – 10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

जिला पुलिस बल मुरैना के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की कुल प्राप्तियां एवं मुआवजा से संबंधित अन्य प्राप्तियों की जानकारी कार्यालय स्थित वेतन शाखा में हार्ड कापी में उपलब्ध हैं जिनकी जानकारी कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है । विभाग में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश वित्त संहिता एवं म0प्र0 कोषालय नियमावली के अनुसार बैंक द्वारा भुगतान प्राप्त होता है । वेतनमान निम्नानुसार है ।

| पदनाम | वेतनमान |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. पुलिस अधीक्षक | 12000-375-18500 |
| 2. अति० पुलिस अधीक्षक | 12000-375-16500 |
| 3. उप पुलिस अधीक्षक | 8275-275-13500 |
| 4. निरीक्षक | 5500-175-9000 |
| 5. सूबेदार | 5000-150-8000 |
| 6. उप निरीक्षक | 4500-125-7000 |
| 7. सहायक उपनिरीक्षक | 4000-100-6000 |
| 8. प्रधान आरक्षक | 3500-80-4700-100-5200 |
| 9. आरक्षक | 3050-75-3950-80-4590 |

अध्याय – 12 (मैनुअल – 11)
प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट
(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)
वर्ष 2006-2007

पुलिस अधीक्षक कार्यालय को विभिन्न शासकीय मदों, योजनाओं से प्राप्त बजट/आबंटन एवं व्यय से संबंधित जानकारी कोषालय संहिता के अनुरूप निर्धारित प्रारूप में हार्डकापी में उपलब्ध है। जिसकी जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

| क्र० | मद | प्रस्तावित बजट रू० | स्वीकृत बजट | शासन द्वारा प्रदत्त(किशतोंमें) | कुल व्यय |
|------|----|--------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-----------|---|-----------|
| 1 | जिला पुलिस बल | | | | |
| | वेतन भत्ते | 132721500 | 100594400 | - | 112210843 |
| | विभिन्न शासकीय मद | 28027000 | 12741323 | - | 11869607 |

| क्र० | मद | प्रस्तावित बजट रू० | स्वीकृत बजट | शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में) | कुल व्यय 30.09.06 तक |
|------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | अ०जा०क०-5172 | - | 50000 | - | - |

निर्माण कार्य

| क्र० | योजना का नाम | कार्य | कार्य प्रारंभ होने का दिनांक | कार्य समापन की अनुमानित दिनांक | प्रस्तावित बजट | स्वीकृत बजट | शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में) | कुल व्यय | कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------|--|
| 1 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2000-2001 | थाना नूराबाद में आवास गृह 2 एनजीओ | 1 जनवरी 2002 से | - | - | - | - | | म०प्र० पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------|---------|-----------|---|---|--|--|
| | | 16 प्र.आर. एवं आर0 | | | | | | | |
| 2 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2001-2002 | थाना रामपुर में 2एनजीओ 6 प्र0आर0 एवं आर0 | 1/04 से | — | — | — | — | | म0प्र0 हाउसिंग बोर्ड |
| 3 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2002-2003 | वि.शा. की फील्ड यूनिट | 30.5.05 | 8.1.06 | 12 लाख | — | — | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 4 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2002-003 | थाना अजाक आवास गृह 3 एनजीओ 10 प्र.आर.एवं आर0 | — | — | 39.10 लाख | — | — | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 5 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2002-2003 | थाना भवन महुआ | — | — | 12 लाख | — | — | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 6 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2002-2003 | थाना भवन निरार | — | — | 12 लाख | — | — | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 7 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2003-2004 | थाना भवन सरायछौला | 9.5.05 | 8.1.06 | 12 लाख | — | — | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 8 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2003-2004 | थाना भवन रिठौरा | 17.5.05 | 29.1.06 | 12 लाख | — | — | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 9 | पुलिस आधुनिकीकरण | थाना भवन | 30.5.05 | 8.1.06 | 12 लाख | — | — | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|---------|----------|--------|---|---|--|--|
| | योजना वर्ष 2003-2004 | दिमनी | | | | | | | कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 10 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2003-2004 | थाना भवन चिन्नौनी | 16.5.05 | 15.1.06 | 12 लाख | — | — | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 11 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2003-2004 | पुलिस चौकी मिरघान | 9.5.05 | 16.10.05 | 6 लाख | — | — | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 12 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2003-2004 | पुलिस चौकी रजौदा | 9.5.05 | 8.1.06 | 6 लाख | — | — | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 13 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2004-2005 | पुलिस चौकी झिर्निया | 26.9.05 | 25.2.06 | 6 लाख | — | — | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 14 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2004-2005 | पुलिस चौकी परीक्षा | 7.10.05 | 6.3.06 | 6 लाख | — | — | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 15 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2004-2005 | पुलिस चौकी झुण्डपुरा | — | — | 6 लाख | — | — | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 16 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2004-2005 | थाना नगरा | — | — | 12 लाख | — | — | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 17 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2004-2005 | थाना सुमावली | — | — | 12 लाख | — | — | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 18 | पुलिस आधुनिकीकरण | थाना रामपुर | — | — | 12 लाख | — | — | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|---|---|--------------|---|---|---|--|
| | योजना वर्ष 2004-2005 | | | | | | | | कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 19 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2004-2005 | मैग्जीन रुम पुलिस लाईन मुरैना | - | - | 5 लाख | - | - | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 20 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2004-2005 | एसडीओपी कार्यालय जौरा | - | - | 5 लाख | - | - | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 21 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2006-2007 | पु.ला. मुरैना में 2-10 आवासग्रह | - | - | 45.88 लाख | - | - | | म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर |
| 22 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना 2006 - 2007 | पु0ला0 मुरैना में 2-8 आवासगृह | - | - | 44.10 लाख | - | - | - | एम.पी. आउसिंह बोर्ड संभाग मुरैना । |

अध्याय - 13 (मैनुअल - 12)

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

पुलिस विभाग द्वारा अनुदान/राज सहायता प्रदान नहीं की जाती है ।

अध्याय – 14 (मैनुअल – 13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

उपरोक्त बिन्दु का संबंध पुलिस विभाग से नहीं है ।

अध्याय – 15 (मैनुअल – 14)

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

म0प्र0 शासन गृह पुलिस विभाग द्वारा सिटीजन चार्टर के अन्तर्गत तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं दण्ड प्रकृिया संहिता एवं पुलिस अधिनियम म0प्र0 पुलिस रेग्यूलेशन में उल्लेखित धाराओं एवं कण्डिकाओं के अनुसार कार्य का सम्पादन करना ।

अध्याय – 16 (मैनुअल – 15)

इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

सीसीआईएस योजना के अंतर्गत वर्ष 1995 से अपराध एवं अपराधियों से संबंधित जानकारी पुलिस कार्यालय स्थापित कम्प्युटर में दर्ज की जा रही है । थाना अजाक में स्थापित कम्प्युटर पर डाटा सर्विलेस सिस्टम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित एवं महिला परामर्श केन्द्र से संबंधित जानकारी दर्ज की जा रही है ।

अध्याय – 17 (मैनुअल – 16)

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को प्राप्त सुविधाओं का विवरण

सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिये निम्न साधनों का उपयोग किया जा सकता है :-

1. सूचना पटल
2. दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था
3. उपलब्ध विभागीय मैनुअल
- 4- म.प्र. पुलिस वेबसाईट www.mppolice.gov.in
5. कार्यालय में अभिलेखों का अवलोकन

अध्याय – 18 (मैनुअल – 17)

अन्य उपयोगी जानकारी :-

मुरैना म.प्र. के उत्तरी भाग में स्थित है । मुरैना की कुल आबादी 1587264 है एवं इसका क्षेत्रफल 5017 वर्ग कि.मी. है । मध्यप्रदेश के चम्बल सम्भाग के तीनो जिलों में से मुरैना को सम्भागीय मुख्यालय होने का गौरव प्राप्त है । चम्बल, आसन, क्वारी, एवं सांक जिलों की प्रमुख नदियाँ जिनमें वर्षभर

पानी रहता है । जिले का बडा भाग इनसे सिंचित होता है इसके अतिरिक्त राजस्थान, कोटा बैराज से नहरों के माध्यम से भी सिंचाई की जाती है । मुरैना जिले की सीमा मध्यप्रदेश के समीपवर्ती जिला भिण्ड, ग्वालियर, श्योपुर के अतिरिक्त राजस्थान, उत्तरप्रदेश से लगती है जिले की कुल आबादी का 65.58 प्रतिशत साक्षरता की दर है । इनमें पुरुष साक्षरता का औसत 80.97 एवं महिलाओ की साक्षरता दर 46.81 प्रतिशत है ।

प्रशासकीय कार्य सुविधा की द्रष्टि से जिले को चार अनुविभाग 6 तहसील एवं 7 विकास खण्ड ने विभाजित किया गया है । इसी प्रकार जिले को 8 नगर पलिका क्षेत्र में विभक्त किया गया है ।

मुरैना जिले में कई ऐतिहासिक एवं प्राचीन धरोवर है जो न केवल जिले की प्राचीन गौरव को बतलाता है बल्कि इतिहास की कई महत्वपूर्ण गाथाओं की याद दिलाता है, जिले में महाभारत काल के साथ-साथ उत्तर पाषाण युद्ध एवं काम्मकाल की कई सिलालेख मौजूद है जिले के पडवली का किला गुप्तो के स्वरकाल की याद दिलाता है इस मंदिर की तुलना मिनी खजुराहो मंदिर से की जाती है । प्रसिद्ध ककनमठ का शिव मंदिर एवं सिहौनिया का जैन मंदिर इस जिले की गौरवमयी इतिहास की गाथा प्रदर्शित करते है । इनके अतिरिक्त मितावली, कुतवार, नूराबाद, एवं बडोखर की ऐतिहासिक संरचनाएँ मूक होकर भी हमें बहुत कुछ बताती है ।

धारा 4.लोक प्राधिकारियों के दायित्व :-

पुलिस अधिनियम 1861, भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक दण्ड संहिता, साक्ष्य अधिनियम, एवं अन्य लघु अधिनियम तथा धारा 153(ख), 295(क) के अधीन किये गये दाण्डिक अपराध तथा अपराधिक षडयंत्र के अपराधियों के लिये पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वाहन किये जाने एवं नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों का संधारण करना ।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला मुरैना (म0प्र0)

क्र./पुअ./मुरैना/ओ.एम./ए2/1305बी /2008

दिनांक /5/2008

प्रति,

पुलिस उप महानिरीक्षक,
चम्बल रेंज ग्वालियर ।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./उमनि/सीआर/शिका./सुअ/एल-2513/07 दिनांक 13.12.2007 ।

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी सीडी सहित संलग्न कर आपकी ओर सादर प्रेषित है ।

संलग्न :- सीडी ।

पुलिस अधीक्षक
मुरैना

1.